E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

पुलिस और मानव अधिकार आयोग का समाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव

सामन्त सिंह

शोधार्थी, विषय राजनीति शास्त्र, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र)

Paper Rcevied date

05/10/2025

Paper date Publishing Date

10/10/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.17553670

IMPACT FACTOR

5.924

शोध-सार

हमारे समाज में धर्म, पुलिस, कानून एवं समाजिक मान्यताएँ ये सभी अपराध को रोकने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा अपराधी नये प्रकार के अपराध करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये । नित्य प्रति पुलिस के सामने समस्यायें बढ़ती जा रही है। जो भी शासकीय दल हो उसका विरोधी दल नये आन्दोलन कराता रहता है। प्रजातंत्रीय प्रणाली में निर्वाचन के बाद सब कार्य विरोध भी रचनात्मक रूप से होता है वैसा हमारे देश में नहीं है। यहाँ बात-बात पर सत्याग्रह रास्ता रोको धरना, हड़ताल, उपद्रव यह आये दिन का खेल है। इसलिये पुलिस को अपने ही नगर - ग्राम वालों से संघर्ष लेना पड़ता है। इसलिये लोकप्रियता तो उसे मिल नहीं सकती जब तक समाज तथा राजनैतिक दल प्रजातन्व की समस्या न समझ लें । कभी छात्र नाराज, कभी अध्यापक, कभी मजदूर, कभी सरकारी कर्मचारी, कभी दुकानदार तो कभी अधिकारी वर्ग भी नराज हो जाता है। और नयी-नयी समस्यायें आती जाती हैं। अब आतंकवादी की समस्या है जिसके कारण 1983 से 2018 के मध्य तक हजारों प्राण जा चुके हैं।

मुख्य बिन्दु - समाजिक, सत्याग्रह, लोकप्रियता, आतंकवादी

मानव अधिकारों के क्षेत्र में सार्वभौमिक घोषणा विश्व शांति रूपी मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार के समान है। चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अहस्तान्तरणीय अधिकार की स्वीकृति ही विश्व में शांति न्याय और स्वतन्त्रता की बुनियाद है। घोषणा की मान्यता है कि मानवाधिकारों की उपेक्षा व घृणा के परिणामस्वरूप ही मानव जाति ने कई घृणित / क्रूर कार्य किए हैं जिनसें मनुष्य ने बोलने की आजादी व विश्वास / आस्था को खोया है जिसमें डर व कमी के लिए कोई स्थान नहीं है। जनसाधारण की सबसे बड़ी आकांक्षा स्वतंत्र रूप से बोलना और अपने विश्वास का स्वेच्छा से पालन करना है। चूंकि यह अत्यन्त जरूरी है कि मानवाधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा की जानी चाहिए अन्यथा मनुष्य को जुल्म और अत्याचार के खिलाफ बगावत का सहारा लेना पड़ेगा। सदस्य राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना और

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

उनकों बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा मानव के मूल अधिकारों स्त्री और पुरुष की समानता के अधिकार सामाजिक प्रगति और उच्च जीवन स्तर को लाने तथा इन्हें बढ़ाने का निश्चय किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर मानवाधिकारों और मूलभूत आजादियों के प्रति संसार भर में सम्मान में वृद्धि करें । (1)

चूँकि इस प्रतिज्ञा को साकार करने के लिए इन अधिकारों और आजादियों को ठीक से समझना जरूरी है। इसलिए अब महासभा द्वारा मानवाधिकारों की इस घोषणा को सभी लोगों और देशों के लिए उपलब्धि का साझा मानक घोषित किया गया है। इस उद्देश्य के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करें कि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो, और उत्तरोतर ऐसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जाए जिनसे सदस्य देशों की जनता और उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों को सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन करें। (2)

इस प्रस्तावना में स्वतन्त्रता, अविभेद और बन्धुत्व के चार सिद्धान्त सम्मिलित है। इसी प्रकार प्रस्तवना में चार अधिकार सम्मिलित किए गए हैं-

1. वैयक्तिक अधिकार |
2. व्यक्ति के बाह्य विश्व समुदाय से संबंध के बारे में अधिकार |
3. राजनीतिक अधिकार और
4. आफिस, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार ।

सम्प्रत्यात्मक, सैद्धान्तिक एवं पद्धतिशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य तथा शोध अध्ययन के अभिकल्प में विवृत तथ्य इस बात के साक्षी हैं कि पुलिस किसी भी राष्ट्र या समाज में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, कानून का पालन करवाने वाला विधि द्वारा स्थापित एक वेतनभोगी संगठन है। वस्तुतः किसी भी संस्था या संगठन की स्थापना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है, लेकिन समय व्यतीत होने के साथ उस संगठन में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है । उसमें कुछ विशिष्ट उपयोगी लक्षण भी उभरते हैं लेकिन भ्रान्तियाँ भी

उत्पन्न होने लगती है। पुलिस संगठन भी इसी परिवर्तन की अवश्यम्भावी प्रक्रिया से गुजरा है। फलतः पुलिस संगठन के प्रति सामान्यजनों के दृष्टिकोण के विश्लेषण से पूर्व पुलिसतंत्र के उद्भव एवं विभिन्न कालों में पुलिस के उत्तरदायित्व, कर्त्तव्य एवं सम्बद्ध व्यवस्था में उनके योगदान, कर्त्तव्यनिष्ठा तथा कर्त्तव्यच्युत्तता का विवेचन समीचीन होगा, क्योंकि किसी भी संस्था, संगठन या तथ्य के वर्तमान को जानने के लिए उसके भूतकाल को भी जानना अनिवार्य होता है तथा वस्तुनिष्ठ समान्यीकरण सम्भव होती है।

प्रस्तुत अध्याय में प्राचीन काल से वर्तमान काल अर्थात् स्वतंत्रता के पश्चात् तक इस संगठन के उद्देश्य, कार्य प्रणाली एवं अन्य सम्बन्धित तथ्यों का विस्तृत विवरण विवृत है। पुलिस शब्द की उत्पति एवं विकास पुलिस यूनानी शब्द "पोलिश" से निकला है, जिसका अर्थ है, नगर । पश्चिमी लेखकों के अनुसार पुलिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोलिटिया" शब्द से हुई है । " पोलिटिया शब्द का अर्थ अंग्रेजी शब्द कोशों के अनुसार असैनिक अथवा शासन से है। पोलिटिया तो लैटिन शब्द है लेकिन उसकी उत्पत्ति भारतीय शब्द "पौरुष" अथवा "पुरुष" से हुआ है।

वस्तुतः मध्य इटली के लैटियन नामक मैदानी क्षेत्र की भाषा की "इन्डोयूरोपियन ". (भारतीय यूरोपियन) भाषा लैटिन कहते हैं। यह आर्य भाषा है और यूरोप की भाषाओं से निकली है । (3) लैटिन प्राचीन रोमन भाषा होने के कारण रोम के बढ़ते प्रभाव के साथ यह यूरोप की भाषा बन गयी । वहाँ से स्पेन, पुर्तगाल के लोग इसे दक्षिण तथा मध्य अमेरिका के अपने उपनिवेशों में ले गये। पश्चिमी विद्वान इस भाषा को 2000 वर्ष पुराना मानते हैं, जबकि प्राकृत संस्कृति पाली भारतीय पुलिस प्रशासन एवं वर्तमान सामाजिक सम्बन्ध के प्रति सामान्यजन, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के दृष्टिकोण भारतीय पुलिस प्रशासन एवं संगठन : ऐतिहासिक अनुशीलन कम से कम 6000 से 3000 वर्ष पुरानी है ।

अतः यह मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि पोटिलिया शब्द भारत के पौरूष पुलिस तथा पुलिस शब्द से ही निकला है इस सन्दर्भ में शुक्रनीति" में "राजकर्मचारियों" को पौरूष कहा गया है। (4) इसलिए विद्वानों का मत है कि पद तथा कार्य के अनुसार शासन में मंत्री अमात्य (उपमंत्री) तथा "पुरुष" तीन श्रेणी रही थी। इसी "पुरुष" शब्द का "पुन्निस" प्रयोग पाली भाषा में सम्राट अशोक ने किया था। चूँकि "पुरुष"

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

"धर्म तथा कर्तव्य का प्रतीक है। (5) इसलिए सम्राट अशोक की पुन्निस" का कार्य प्रजा से धर्म का कार्य कराना था, यानी पाप, अपराध नहीं करने देने का प्राविधान था।

पुलिस को अधिकार दिया गया था कि प्रधान का आदेश न मानकर राजाज्ञा का पालन करें, अर्थात् अपने प्रधान का आदेश न मानकर राजा के आदेश पर चले। अशोक के शिलालेख में पुन्निस अधिकारी हैं, जिसे आदेश है कि वह प्राणदण्ड प्राप्त लोगों को दण्ड मिलने के तीन दिन पहले सूचित कर दें, ताकि वे अपने भगवान् को यादकर अपने पाप की क्षमा मांग । अशोक की पुलिस उन दिनों जेल में काम भी देखती थी और दण्ड विभाग, गृह विभाग के अन्तर्गत न्याय तथा दण्ड व्यवस्था भी देखती थी। अपराध वैदिक काल से ही चला आ रहा था, अतएव उसकी व्यवस्था अनिवार्य थी। अथर्ववेद" में अपराध " शब्द आया है, जिसका अर्थ अथर्ववेद केही अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य के विपरीत काम करना, पाप करना, गलत कार्य करना है। ऐसी स्थिति में अपराध की रोकथाम करने वाला दल "पुलिस" या पौरूष" कहा गया था। लेकिन "पुरुष" और "पुलिस" में स्पष्ट भेद अशोक के शासन व्यवस्था से ही प्रकट हुआ है। मनुस्मृति तथा महाभारत में भी पुरूष शब्द के अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख हुआ था। (6) पुरूष से ही "पुलिस" अधिकारी" के रूप में प्रयुक्त हुआ था। मानव नामक एक बड़े विद्वान प्राचीन भारत में हैं जो वाराहमिहिर की वृहद संहिता के अनुसार एक सिद्धान्ताचार्य थे।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पुलिस शब्द के उद्भव के सही ज्ञान का अभाव है, फिर भी विकसित भारतीय संस्कृति के विवरण से स्पष्ट होता है कि पुलिस का प्रचलन इस भारत वर्ष में ही समाज में व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था।

पुलिस -शाब्दिक अर्थ और उसकी व्याप्ति सातवीं शती ईसवी में सम्राट हर्षवर्द्धन के समय भारत आये चीनी यात्री हवेनत्सांग भारतीय पुलिस प्रशासन एवं वर्तमान सामाजिक सम्बन्ध के प्रति सामान्यजन, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के दृष्टिकोण भारतीय पुलिस प्रशासन एवं संगठन : ऐतिहासिक अनुशीलन ने उस समय की बिगड़ती हुई शान्ति व्यवस्था का उल्लेख किया है। स्वयं स्वेनसांग को दो-दो बार लुटेरों का शिकार होना पड़ा था। भारत में पुलिस व्यवस्था या आन्तरिक शान्ति व्यवस्था के लिए अंग्रेजों का श्रेय देते हुए जे०सी०करी ने अपनी पुस्तक "द इण्डियन पुलिस" के पृष्ठ 15 पर लिखा है कि भारत में अशोक, विक्रमादित्य या हर्ष के समय में पुलिस व्यवस्था नहीं थी।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

भारतीय परिवेश में आधुनिक पुलिस के उद्भव की प्रक्रिया ईष्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी को प्राप्त कर लेने के उपरान्त आरम्भ हुआ था, लेकिन सन् 1793 में लार्ड कार्नवालिस द्वारा पुलिस स्टेशन तथा दरोगाओं की संस्था स्थापित करने से ब्रिटिश काल भारत में पुलिस प्रशासन गतिशील हुआ । (7) ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा वित्तीय में तीनों प्रान्तों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन नवाब अभी भी अपराधिक न्याय पुलिस व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन धीरे-धीरे ईस्ट इण्डिया कम्पनी इन पर ही अधिकार कर लिया था तथा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में सम्पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में लिया था।

वास्तव में प्राचीन समय में, पुलिस व्यवस्था का इतिहास विखरा हुआ मिलता है भारत वर्ष गाँवों का देश रहा है। यहाँ के लोग गाँवों में निवास करते रहते हैं इनमें गतिशीलता कम परिलक्षित होती है। पंचायत पंच परमेश्वर के समान था। गाँवों के अग्रज औपचारिक नागरिक तनाव को स्वयं ही मिल बैठकर हल कर लेते थे। सामाजिक संगठन शक्ति सम्पन्न बाध्यकारी एवं नियंत्रणकारी था। औपचारियों को दण्ड देने में सक्षम थे ।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र (300 बी. सी.) में जासूसी कला एवं व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है, जैसा कि आधुनिक समय में है। उस समय दण्ड से बचने का अभाव पाया जाता था। राजा ही दण्ड देने का अधिकारी था ।

मुसलमानों के आक्रमण के तथा ईस्लामी राज्य की स्थापना में गाँवों की स्थिरता एवं शान्ति में हलचल उत्पन्न हुआ और आक्रमणकारियों ने सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करना आरम्भ किया । सुल्तान के काल में सैनिक व्यवस्था के आधार पर फौजदारों की नियुक्ति होती थी, जोकि न्याय व्यवस्था के सुसंचालन के आधार पर उस समय "मुंहतासिब ” पुलिस प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था। जोकि कोतवाल अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन भारतीय पुलिस प्रशासन एवं वर्तमान सामाजिक सम्बन्ध के प्रति सामान्यजन, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के दृष्टिकोण भारतीय पुलिस प्रशासन एवं संगठन : ऐतिहासिक अनुशीलन करना पड़ा था। कोतवाल के पास निश्चित क्षेत्र में आवासित व्यक्तियों के संदर्भ में समस्त सूचनायें रजिस्टर में दर्ज होती थी। (8) मुगलकाल में पुलिस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी " अकबर नामा" तथा आइने अकबरी" नामक ग्रन्थों में उपलब्ध है। मुगल सरकार प्रान्तों का मुख्य अधिकारी "सुबेदार" या "नजीम” जो कि प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन का मेरूदण्ड था ।

संदर्भ सूची

1. अंसारी, एम.ए., महिला आपराधिकता एवं पुनर्स्थापना, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1981.
2. अर्ल, हाउ एच. "पुलिस - कम्यूनिट रिलेशंस : क्राइसिस इन ऑवर टाइम" स्प्रिङ् फील्ड (आई.एल. एल.) : चार्ल्स सी. टॉमस, 1970.
3. अशरफ, निहाल, 'क्राइम अगेन्स्ट वूमैन', कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स, दरियागंज, नई दिल्ली, 1997.
4. अय्यर, वी. आर. कृष्णा, "पुलिस इन वेलफेअर स्टेट", न्यू देहली : एशिअन बुक सेन्टर, 1959.
5. आमेटा, तेजप्रकाश, "राजस्थान पुलिस प्रशासन एवं जन अपेक्षाएं" यश पब्लिशिंग हाऊस, बीकानेर, 2008.
6. आचार्य, नंद किशोर, "मानवाधिकार की संस्कृति", वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, 2010.
7. आहूजा राम, आहूजा, मुकेश "विवेचनात्मक अपराधशास्त्र" , रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2013.
8. आर्म वॉल्टर, 'द पुलिसमैन : ऐन इनसाइड लुक ऐट हिज रोल इन मॉडर्न ।